संख्या– 2206/60-1/ए-1/13 (69)/04 ~~2011~~

प्रेषक,

समाज कल्याण आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनु-।   लखनऊ:दिनॉक: 03 अगस्त ~~जुलाई~~,2011

विषय : बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के अभिमुखीकरण हेतु बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण), अधिनियम 2000 (यथासंशोधित 2006) की धारा–29 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल कल्याण समिति का गठन किया जा चुका है। इन समितियों का गठन मुख्य रूप से देखरेख एवं संरक्षण हेतु जरूरतमंद बालकों के मामलों के निपटारे के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में किया गया है। प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य हैं जिनमें न्यूनतम एक महिला सदस्य है।

आप अवगत ही हैं कि बाल कल्याण समितियों के अधिकांश सदस्य प्रथम बार चयनित किए गए हैं। अतः इन्हें बाल कल्याण समिति के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में ज्ञान कराने के साथ ही आपके स्तर से मार्ग निर्देश दिया जाना आवश्यक है। यद्यपि राज्य स्तर पर सदस्यों को क्रमिक रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मण्डल स्तर पर आपकी अध्यक्षता में इनकी बैठक कराने से इनको उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए समुचित मार्ग निर्देश तो मिलेगा ही साथ ही जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षकों से कार्य निष्पादन में समय–समय पर इनको अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहेगा। अभी हाल ही में दिनॉक 26.07.2011 को न्यायमूर्ति श्री अमरशरण जी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनपद गोरखपुर तथा फैजाबाद के 2 बाल गृहों का निरीक्षण किया गया। उसमें अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि पर्यवेक्षण गृहों में जो लोग निरुद्ध हैं उनके गृह स्थान का पता लगाकर उनको सही संरक्षक की अभिरक्षा में भेजा जाना आवश्यक है। इस दिशा में बाल कल्याण समिति को जागरूक करके उनके उत्तरदायित्वों का समुचित उपयोग किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर, 2011 तक 3 माह का निम्नानुसार अंकित तिथियों में मण्डल के समस्त बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की बैठक बुलाकर उन्हें उनके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के प्रति अभिमुखीकरण कराया जाए।

सम्प्रति आईसीपीएस योजना के अन्तर्गत इनकी बैठकों में इनके मानदेय में 100/– प्रतिदिन की दर से पहले से देय मानदेय में वृद्धि करते हुए अब

कृपया दिनॉक 03 अगस्त, 06 सितम्बर तथा 03 अक्टूबर, 2011 को मण्डल के समस्त जनपदों की बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की बैठकें आयोजित करें तथा समीक्षोपरान्त अपना सुझाव भी प्रेषित करें जिससे कि शासन स्तर पर इन बाल कल्याण समितियों की उपयोगिता को बढ़ाने की दृष्टि में आपके सुझाव पर समुचित कार्यवाही की जा सके।

भवदीया,

(नीता चौधरी) 3.8.11
समाज कल्याण आयुक्त।

संख्या एवं दिनॉक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।

आज्ञा से,

(भावना श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव